नियमानुसार विभागीय अधिसूचना क्रमांक 6(6)राज–6/92/पार्ट/24 दिनांक 14.10.10 का हिन्दी अनुवाद।

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

सं.एफ.6(6)रेव–6/92/पार्ट/24 जयपुर,दिनांक :14.10.2010

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90–क के साथ पठित धारा 261 की उप–धारा (2) के खण्ड (xi–क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) (पंचम संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.– राजस्थान भू– राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007, जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 के उप–नियम (1) में, विद्यमान खण्ड (क) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ख) के पूर्व, निम्नलिखित नये खण्ड (कक) और (ककक) अन्तःस्थापित किये जायेंगे अर्थातः–

(कक) **'कृषि–कारबार'** से ऐसे व्यापक पैमाने का कारबार अभिप्रेत है जो उसका अधिकतर राजस्व कृषि से प्राप्त करता है और इसमें कृषि उत्पादो का उत्पादन, प्रसंस्करण, विनिर्माण और वितरण सम्मिलित है।

(ककक) **'कृषि प्रसंस्करण'** से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जो कृषि उत्पादों, कृषि अपशिष्ट और मध्यवर्ती कृषि उत्पादों का उपयोग ऐसी रीति से उत्पादों का उत्पादन करने में करती है कि भारतीय व्यापार वर्गीकरण (हार्मोनाइज्ड प्रणाली) में कृषि उत्पाद की प्रकृति में छह अंक स्तर पर रूपांतरण हो जाये और वहां कम से कम 30% मूल्य परिवर्धन होना चाहिए।"

3. नियम 6–क का अन्तःस्थापन.– विधमान नियम 6 के पश्चात् और नियम 7 के पूर्व, निम्नलिखित नया नियम 6–क अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"6–क. कृषि– कारबार कियाकलाप के लिए खातेदरी भूमि का उपयोग,–इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई खातेदार अभिधारी उसकी खातेदारी भूमि के क्षेत्र का 5% तक कृषि कारबार कियाकलापो के लिए उपयोग कर सकेगा और ऐसे कियाकलाप कृषि संकिया के रूप में माने जायेंगे और कोई संपरिवर्तन अपेक्षित नही होगा। इस प्रकार उपयोग में लिया गया क्षेत्र उसकी खातेदारी में बना रहेगा।"

4. नियम 7 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 7 के विद्यमान खण्ड (ix) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (x) जोड़ा जायेगा, अर्थात :–

(x) कृषि प्रसंस्करण और कृषि कारबार इकाई	औद्योगिक प्रयोजन के लिए यथा– विहित दर का 50%

5 नियम 9 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 9 में.–

(i) उप–नियम (1) विद्यमान खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड (झ) जोड़ा जायेगा, अर्थात्.–

(झ) कृषि प्रसंस्करण या कृषि कारबार इकाई	(i) उप–खण्ड अधिकारी जहां कुल क्षेत्र 10 हैक्टयर से अधिक न हो । (ii) कलक्टर जहां क्षेत्र 10 हैक्टयर से अधिक हो ।

(ii) उप-नियम 6 के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप– नियम (7) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात :–

"(7) गैर–प्रदुषण कृषि प्रसंस्करण उद्योगो की स्थापना के लिए भूमि संपरिवर्तन के लिए "कृषि प्रसंस्करण क्षेत्रो" के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में भूमि की उपयुक्तता के लिए कोई परीक्षण अपेक्षित नहीं होगा। संपरिवर्तन आदेश, अपेक्षित संपरिवर्तन प्रभार और हक के दस्तावेजन जमा कराने के दो सप्ताह के भीतर भूमि हक के सत्यापन के पश्चात् जारी किया जायेगा"।

राज्यपाल के आदेश से

ह०
(नरेश कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व ग्रुप–6 विभाग

प.क्र 6(6) राज–6/92/पार्ट/11 जयपुर दिनांक :– 17-5-11

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को इस विभाग की समसंख्यक अंग्रेजी अधिसूचना दिनांक 14.10.2010 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, राजस्व मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/राजस्व।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
7. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 17.5.11 में प्रकाशन हेतु।
8. सयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायधीश पुस्तकालय) उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. "राविरा" राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
10. उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव